Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.
Supply Revision No.- 186/2021
Nityanand Yadav ..... Petitioner.
Versus
The State of Bihar & Ors ..... Opposite Party.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.06.2023	**आदेश** प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पी0डी0एस0 अपील वाद सं0–26/2018–19 में दिनांक–04.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक थाना–नरपतगंज, पंचायत–नाथपुर, प्रखंड–नरपतगंज, अररिया के स्थायी निवासी है तथा जन वितरण प्रणाली अंतर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज से अनुज्ञप्ति सं0–94N/2016 प्राप्त कर उसके वैध धारक रहे है। यह अपनी जन वितरण की दुकान बिना कोई शिकायत एवं आरोप के सुचारू रूप से चलाते रहे। आवेदक के विरूद्ध ग्रामीण राजनैतिक विद्वेष के तहत कुछ असामाजिक व्यक्तियों द्वारा आवेदक के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के समक्ष शिकायत आवेदन समर्पित किया। उक्त शिकायत पत्र के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नरपतगंज द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के समक्ष पत्रांक–154, दिनांक–26.09.2018 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण समर्पित करने की मांग की गई 1. उपभोक्ताओं को राशन की आपूर्ति दो माह में एक बार किया जाता है। 2. विक्रेता द्वारा राशन कार्ड पर पिछले माह का भी गलत प्रविष्टि किया जाता है। 3. उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार तथा मार–पीट करते है। 4. उपभोक्ताओं को मात्रा से कम अनाज दिया जाता है तथा कैश मेमों नहीं दिया जाता है। आवेदक द्वारा दिनांक–03.10.2018 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए निम्न तथ्यों का उल्लेख किया कि मेरे द्वारा उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह अनाज दिया जाता है। माह अगस्त 2018 में दिनांक–05.09.	

WebCopy Not Official

	लगातार 13.06.2023	2018 को ही अनाज का वितरण कर दिया गया था। वार्ड प्रधान क्रमशः (मुखिया) के निरीक्षण के बाद ही वितरण पंजी सत्यापित किया जाता है। उपभोग्ताओं को जिस माह का वितरण किया जाता है, वितरण पंजी में उसी माह की प्रविष्टि की जाती है एवं हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान लगाया जाता है। आवेदक मुखिया पद पर चुनाव लड़ रहे थे इसलिए राजनीतिक रंजीश के कारण ऐसा आरोप लगाया गया। दिनांक–24.09.2018 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के दुकान पर उपस्थिति में ही मेरे द्वारा राशन का वितरण किया गया, परन्तु एक भी उपभोक्ता द्वारा शिकायत नहीं किया गया। ये अनाज का वितरण उचित मात्रा एवं नियत दर पर करते है। कैश मेमों की समाप्ति पर छपने हेतु दिये जाने के कारण कैश मेमों उपभोक्ताओं को नही दिया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी आवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये नजरअंदाज कर अनुज्ञप्ति सं0–94N/2016 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर जिला समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में अपील वाद सं0–26/2018–19 दायर किया गया। जिसे उनके द्वारा अस्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा गया। इससे दुखी होकर इनके द्वारा इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं हैं। यह आदेश मनमाने एवं यांत्रिक रूप से पारित किया गया है। आवेदक द्वारा गत वर्ष उक्त पंचायत के मुखिया पद से चुनाव लड़ने हेतु आवेदन समर्पित किया गया, जिस कारण कुछ लोगों द्वारा दबंगता पूर्वक गलत शिकायत दर्ज किया गया। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, नरपतगंज के समक्ष ही आवेदक द्वारा अनाज का वितरण किया है। इससे स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी वितरण पंजी को नजरअंदाज कर इनके अनुज्ञप्ति पंजी सं0–94N/2016 को रद्द कर दिया जाना सर्वथा निराधार है। परिवाद के आलोक में प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, नरपतगंज द्वारा सही से जाँच नहीं किया गया एवं आनन–फानन में जाँच समर्पित कर दिया गया जो सही प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में इनके द्वारा पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करते हुए अनुज्ञप्ति सं0–94N/2016 को पुनर्जिवित करने की प्रार्थना की गई है।	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 13.06.2023	प्रस्तुत मामले में अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा पत्रांक 229 दिनांक 09.06.2022 के माध्यम से समर्पित मंतव्य के अनुसार श्री नित्यानंद यादव, जन वितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत–नाथपुर, क्रमशः प्रखंड–नरपतगंज अनुज्ञप्ति सं0–94N/2016 के विरूद्ध उनसे संबद्ध लाभुकों के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया उसे तत्कालीन प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, नरपतगंज द्वारा सही प्रतिवेदित किया गया है। तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदक के स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद बताया गया। पुनः विक्रेता को अपना पक्ष रखने हेतु कार्यालय पत्रांक 347 दिनांक 20.11.18 द्वारा कारण पृच्छा का नोटिस निर्गत किया गया। जिसके आलोक में विक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया परंतु इसे भी असंतोषप्रद पाते हुए इनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। विक्रेता से संबद्ध लाभुकों का बयान विक्रेता के विरूद्ध आवेदन एवं प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, नरपतगंज के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा अनुज्ञप्ति के शर्त्तों का उल्लंघन किया गया है। तत्कालीन अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा विक्रेता को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया, परंतु विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य को संतोषप्रद न पाकर अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया जो बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के अनुसार सही है। उभय पक्षों को सुनने निम्न न्यायालय अभिलेख एवं संलग्न सुसंगत कागजातों के जाँचोपरांत एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदक पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, निम्न न्यायालय द्वारा इन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका दिया गया। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का जवाब से असंतुष्ट होकर इनके अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है जो सही है। निम्न न्यायालय के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख संबंधित पदाधिकारी को वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, आयुक्त,	

WebCopy. Not Official.

		पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

Web Copy. Not Official.